न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः— श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 13/2015
मदनलाल पुत्र श्रीराम जाति सेवग निवासी ग्राम सारूण्डा तहसील नोखा जिला बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोखा, जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्ट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :—

1— अपीलान्ट की ओर से — श्री वेणूराज गोपाल पुरोहित अधिवक्ता
2— स्टेट की ओर से — विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 11.06.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार नोखा के आदेश दिनांक 02.07.2015 से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार नोखा द्वारा आदेश खिलाफ कानून मिसल के खिलाफ व मनमाना आदेश है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील मंजूर फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.07.2015 को निरस्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को मौके का कब्जा सुपुर्द किया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि अपीलार्थी के पिता श्रीराम पुत्र खीमाराम के नाम से ग्राम पंचायत सारूण्डा द्वारा दिनांक 30.08.1985 को आबादी भूमि का विक्रय विलेख विधिवत् रूप से जारी किया गया है। अपीलार्थी के पिता लगातार इस जायदाद पर बहैसियत मालिक व काबिज रहे। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त जायदाद पर बतौर वारिस अपीलार्थी कायम रहा व आज भी मौके पर कायम है। अपीलार्थी उक्त पट्टेशुदा भूमि पर बाल—बच्चों व परिवार के साथ रहता है। मौके पर अपीलार्थी ने मकान व अपने परिवार के पालन—पोषण के लिए दो दुकान बना रखी है। गांव की पार्टी—बाजी के कारण कई व्यक्ति अपीलार्थी को तंग व

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) बीकानेर

Scanned by CamScanner

परेशान करते है तथा उसे अपने पट्टेशुदा भूमि से बेदखल करने पर अमादा है। मौके पर अपीलार्थी के मकान के अलावा कई और मकान भी बने हुए है। परन्तु उन्हें आज तक किसी प्रकार का कोई नोटिस या कार्यवाही नहीं की गई, जबकि वे अतिक्रमी है। गांव के पूर्व सरपंच पीराराम व अन्य व्यक्तियों ने साजिश करके अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदार नोखा द्वारा कार्यवाही करवायी गई है। अपीलार्थी के पिता द्वारा उक्त जायदाद का विधिवत रूप से विक्रय विलेख प्राप्त किया गया । विधि का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि जहां पर किसी जायदाद का विधि सम्मत स्वतः प्राप्त कर लिया जाता है, वहां पर धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही नहीं की जा सकती और ना ही उसे बेदखल किया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा धारा 91 का नोटिस दिया गया है, वह नोटिस अवैध है, क्योंकि उक्त नोटिस में अतिक्रमण की गई भूमि का खुलासा नहीं है, ना ही उसमें आसापासा व गजगत लिखे गये है ना ही उसमें कब से अतिक्रमण किया गया है, इस बाबत भी नहीं लिखा गया है। धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार की ड्यूटी है कि वह जायदाद के टाईटल की जांच करें। चूंकि यह भूमि ग्राम सारूण्डा की आबादी भूमि में है तथा रिकार्ड में कृषि भूमि के रूप में अंकित नहीं है तथा मौके पर अपीलार्थी बहैसियत मालिक व काबिज है, वहां ऐसी भूमि पर धारा 91 की कार्यवाही पोषणीय नहीं है। तहसीलदार ने गांव के हल्का पटवारी एवं सरपंच की शहादत नहीं ली है तथा ना ही संबंधित भूमि के दस्तावेज ग्राम पंचायत कार्यालय से तलब किया गया है। परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया । अपीलार्थी को दस्तावेज पेश करने का न्याय संगत मौका नहीं दिया गया ना ही उसके कृषि भूमि पर अतिक्रमी होने बाबत कोई साक्ष्य न्यायालय हाजा द्वारा ली गई। तहसीलदार द्वारा राजनैतिक दबाव में बाला–बाला तरीकों से कार्यवाही कर दिनांक 02.07.2015 को आदेश दिया गया है। उसी दिन हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर अपीलार्थी के पट्टेशुदा जायदाद पर बनी दुकानों को कुर्क करके ताला लगा दिया। अपीलार्थी गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है वह अपने पट्टेशुदा जायदाद पर बनी दुकानों से अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहा है। यदि उसे मौके से बेदखल कर दिया जाता है तो उसके भूखों मरने की नोबत आ जायेगी। अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील मंजूर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.07.2015 को निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलार्थी को मौके पर कब्जा सुदुर्द किया जावे। विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडी 1974 आजे पेज 443, आरआरडी 1960 आरजे पेज 12, आरआरडी 1983 आजे पेज 332, आरआरडी 1982 आरजे पेज 151, आरआरडी 1982 आजे पेज 314 के उद्धरण पेश किये।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का सारूण्डा द्वारा धारा 91 के तहत इस आश्य की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थी ने ग्राम सारूण्डा के खसरा नम्बर **2879 तादादी 0.46 हैक्टेयर गैर मुमकीन जोहड़ पायतन भूमि पर संवत 2071** में **पक्का निर्माण** बनाकर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है। इस पर गैर सायल को नोटिस भेजा गया। जिसका संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर 50 गुणा तावान की शास्ति से आरोपित किया गया व भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिया गया है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन **जोहड़ पायतन** दर्ज है। **जोहड़ पायतन** भूमि पर किये गये कब्जे को नियमन नहीं किया जा सकता है ना ही अपीलार्थी की कोई नियमन पत्रावली तहसील कार्यालय में जैरकार है। अपीलार्थी गैर मुमकीन **जोहड़ पायतन** भूमि पर अतिक्रमण करने का दोषी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का ने गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुवे रिपोर्ट पेश की है। इस आधार पर गैर सायल के विरूद्ध भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैर मुमकीन **जोहड़ पायतन** पर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है, के विरूद्ध अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया जाकर लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित की गई है। राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि गैर मुमकीन **जोहड़ पायतन** दर्ज है। अपीलान्ट अपील मीमों में अतिक्रमी भूमि पट्टे शुदा भूमि होने का कथन किया है। अपने कथन के समर्थन में दिनांक 26.5.2016 को फॉर्म नं. 3 के संलग्न ग्राम पंचायत सारूण्डा द्वारा दिनांक 30.8.1985 को श्रीराम पुत्र सीमाराम के नाम 15 गुण्डा 20 फुट के आबादी भूमि का विक्रय विलेख की अप्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की है, जो कि साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साक्ष्य में पढ़ने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त विक्रय विलेख में

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

आसा–पासा खरीददार एवं साक्ष्यों के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। विक्रय विलेख 421/– रूपये प्रतिफल का होना अंकित है। परन्तु इसका पंजीयन नहीं है। पंजीयन नहीं होने के कारण साक्ष्य विधि के अनुसार साक्ष्य में पढ़ने योग्य नहीं है। प्रथम दृष्टया यह भी प्रमाणित नहीं है कि प्रस्तुत विक्रय विलेख प्रश्नगत गैर मुमकीन जोहड़ पायतन की भूमि की ही है। क्योंकि कानूनी तौर पर जोहड़ पायतन की प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि पर ग्राम पंचायत को विक्रय विलेख जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण में हूबहू चस्पा नहीं होने के कारण इसका लाभ अपीलान्ट को नहीं दिया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 11.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच गौरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner